संयुक्तांक जनवरी 2019 • मूल्य : 60 रुपए

ISSN 2347-6613

प्रकाशन के दसवें वर्ष में प्रवेश

परिंदे

साहित्य, सांस्कृति एवं विचार का द्वैमासिक

भारतीय मुस्लिम समाज पर केन्द्रित अंक

परिंदे

साहित्य, संस्कृति एवं विचार का द्वैमासिक

वर्ष 10 • अंक-4 + 5 • संयुक्तांक जनवरी 2019

संस्थापक संपादक
राघवचेतन राय

संरक्षक
पंकज बिष्ट, अरविंद मोहन, कुसमलता सिंह

परामर्श संपादक
डॉ. विनोद कुमार सिन्हा

संपादक
डॉ. शिवदान सिंह भदौरिया

कार्यकारी संपादक
ठाकुर प्रसाद चौबे

कानूनी एवम् वित्तीय सलाहकार
सिद्धार्थ सिंह (अधिवक्ता), **श्री. आर. के. धीमान** (सी.ए.)

शब्द संयोजन
सुमित प्रताप सिंह

संपादकीय संपर्क एवं कार्यालय:
79 ए, दिलशाद गार्डन, नियर पोस्ट ऑफिस,
दिल्ली - 110095
मो. 09810636082
E-mail: officeparindepatrika@gmail.com
E-mail: parindepatrika@gmail.com

मूल्य: 60 रु. (एक प्रति), वार्षिक: 200 रु., संस्था और पुस्तकालयों के लिए वार्षिक: 500 रु., वार्षिक (विदेश): 50 यू.एस.डॉलर, आजीवन व्यक्तिगत: 2000 रु. संस्था: 5000 रु.

बैंक के माध्यम से शुल्क भेजने के लिए

"परिंदे पत्रिका का खाता "पंजाब एंड सिंध बैंक' दिल्ली मे हैं। जिसका खाता संख्या-04801100049782 है तथा इसका आई. एफ.सी कोड *PSIB0000484* है।

संपादन-संचालन पूर्णत: अवैतनिक एवं अव्यवसायिक

"परिंदे' में प्रकाशित लेखकों के विचार उनके अपने हैं जिनसे संपादकीय सहमति अनिवार्य नहीं। • **"परिंदे'** से संबंधित सभी विवादास्पद मामले केवल दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे। • सारे भुगतान मनीआर्डर : चेक/ बैंक ड्राफ्ट **"परिंदे'** के नाम से किए जाएं। कृपया दिल्ली से बाहर के चेक में बैंक कमीशन के 35.00 रुपये अतिरिक्त जोड़ें।

यह अंक....

संपादकीय

4. वर्तमान भारतीय सन्दर्भ में हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न: **डॉ. शिवदान सिंह भदौरिया**

बातचीत

6. वरिष्ठ इतिहासकार इरफ़ान हबीब से प्रेम कुमार की बातचीत
10. असगर वजाहत से शोभाराम पाण्डेय एवं अनिल तिवारी की बातचीत
16. श्री अशफाक खोपेकर से वनिता पेंडुरकर की भेंट वार्ता
18. प्रफुल्ल केतकर से शिव पाठक और प्रशांत त्रिवेदी की बातचीत
21. शायर तिलकराज पारस से अवधेश सिंह की बातचीत

कहानी

23. शाह आलम कैम्प की रुहें: **असगर वजाहत**
26. अनुत्तरित प्रश्न: **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सिंह**
32. और कितने करबला: **डॉ. अमिताभ शंकर राय चौधुरी**
36. रसीद नं ग्यारह: **एम. हनीफ़ मदार**
43. गफूर भाई: **कृष्ण मनु**
50. धुँधली यादें और सिसकते ज़ख़्म: **निसार अहमद**
119. और दुनिया बदल गई: **खुदेज़ा खान**

आलेख

61. भारतीय मुसलमान और आज का सच: **अनवर सुहैल**
66. सिनेमा के आईने में मुस्लिम समाज: **अंजनी श्रीवास्तव**
74. भारतीय मुसलमान : दशा एवं दिशा: **डॉ. सलमान अरशद**
79. सूफी मतवाद और भारतीय परम्परा: **डॉ. विनोद कुमार सिन्हा**
81. अँधेरी सुरंगों में भटकती कौम: **महेश शर्मा**
83. इस्लाम -मुसलमान और आज का समय: **सेराज़ खानबातिश**
86. मुस्लिम स्त्री: समय की दहलीज पर: **फरीदा खातुन**
88. मुख्यधारा और मुसलमान: **जाहिद खान**
93. भारतीय पसमांदा मुसलमान: **लेनिन मौदूदी**
98. मंदिर मस्जिद विवाद में उलझी भोजशाला: **महेश शर्मा**
102. 21वी सदी के उपन्यासों में मुस्लिम-स्त्री: **सबा ज़िनित**
107. उर्दू के जानिब कब रूकेगी नाइंसाफी: **जाहिद खान**
110. सच्चर के बाद भी नहीं बदले हालात: **जावेद अनीस**

कविताएं/ग़ज़ल/लघुकथा

17. **डॉ. संगीता गांधी** 20. **फ़हमीदा रियाज़** 25. **डॉ. रघुपति सहाय 'फ़िराक़' गोरखपुरी** 35, 87, 106 **सुनील बाजपेयी 'सरल'** 49. **प्रीति सैनी** 53. **शहरयार** 54. **डॉ. शिवदान सिंह भदौरिया** 59. **गफूर तायर** 60. **लक्ष्मीकांत मुकुल** 65, 92, **शिव कुमार राय** 97. 115, **ज्योति सिन्हा** 117. **श्री विलास सिंह**

व्यंग्य

116. डिग्री: **शैलेंद्र कुमार भाटिया**

किताबें

122. दलितो के जीवन से सीधा साक्षात्कार: **डॉ. धीरज भाई वणकर**
125. यथार्थ के बीच प्रेम की पड़ताल: **अमरेन्द्र सुमन**
129. पहाड़ी क्षेत्र के जीवन को शब्दों से अभिव्यक्ति: **प्रतिभा सिंह**
129. धर्म और तिजारत के यथार्थ में चहलकदमी करती किताब: **अनिल तिवारी**

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **ठाकुर प्रसाद चौबे** की ओर से बालाजी ग्राफिक आर्ट्स, 1/1622 मानसरोवर पार्क, शाहदरा दिल्ली-32 द्वारा मुद्रित एवं 79 ए दिलशाद गार्डन, दिल्ली-95 से प्रकाशित

मुस्लिम स्त्री : समय की दहलीज पर

➢ फरीदा खातुन

बाजारवाद के जिस दौर में हम जी रहे हैं, वह हमें जितना प्रभावित कर रही है उतना ही हम समस्याओं के जाल में उलझते जा रहे हैं। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए आयोजित किए जाने वाले विमर्श भी निरर्थक बहस और दुराग्रह में बदल रहे हैं। नतीजतन एक उपयुक्त विवेकपूर्ण मार्ग का अभाव है। स्त्री से जुड़ी समस्याएँ भी ऐसी ही उलझन हैं। स्त्री चाहे किसी भी कौम की हो, किसी न किसी रूढ़ियों की जकड़न में अवश्य है। लेकिन अक्सर 'मुस्लिम औरत' का नाम आते ही घर की चहारदीवारी में बंद या पर्दे में रहनेवाली स्त्री का चेहरा सामने उभरकर आता है। मुस्लिम सामाजिक व्यवस्था में औरतों को मर्दों के मुकाबले दोयम दर्जा प्राप्त है। औरत के सामाजिक स्तर का संबंध सामाजिक मूल्यों से ताल्लुक रखने वाली समस्याओं से है। आज मुस्लिम मध्यवर्गीय एवं निम्नवर्गीय स्त्री अनेक पारिवारिक एवं आर्थिक मजबूरियों के भीतर घूट कर साँस ले रही है। हालांकि उच्च मध्यवर्गीय मुस्लिम स्त्री अच्छी स्थिति में है- ऐसा नहीं है। पर कम से कम आर्थिक समस्याओं की मार नहीं झेल रही है। सदियों से घुटती हुई स्त्री जब आजादी के आसमान की तमन्ना करती है तो सबसे पहले उसे समाज से जंग लड़नी पड़ती है। सामाजिक जंग भले लड़ना कठिन हो परंतु असंभव नहीं होता। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि जब मुस्लिम स्त्री वर्ग की ओर से अपने सामाजिक अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की, उसकी आवाज जाती तो धार्मिक फतवे की तलवार से दबा दी जाती है। इन सबके बावजूद मुस्लिम स्त्री में जागरण एवं क्रांति आ रही है। वह शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति न सिर्फ सचेत हो रही है बल्कि संघर्ष भी कर रही है। परंतु शिक्षित होने एवं सामाजिक हकों को हासिल करने की इस जंग की गति बहुत धीमी है।

पुरुष उपनिवेशवादी व्यवस्था में स्त्री अनेक बंधनों से युक्त है। अभिव्यक्ति की आजादी आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हालांकि आजकल मुस्लिम स्त्रियों का एक दल जगह-जगह पुरुषों की तरह जलसों का आयोजन कर रहा है। इन जलसों में महिलाओं का एक बड़ा जमघट होता है। पर अफसोस यह है कि महिलाओं द्वारा आयोजित होने वाले ये जलसे धार्मिक मुद्दों एव शौहर के हकूकों के बीच ही सिमट है। नतीजन शौहर का हक तो अवश्य उजागर हो जाता है, लेकिन स्त्री का अधिकार हिजाब के बीच में ही दबा-ढका रह जाता है। ऐसे में एक कम पढ़ी-लिखी साधारण समझ वाली स्त्री अपने बुनियादी अधिकारों से मरहम रह जाती है। वह उन हकों के बारें में भी नहीं जान पाती जो उसे आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। अगर इस तरह के जलसों में औरत के अधिकारों की चर्चा की जाए तो अवश्य कुछ समस्याओं से निपटा जा सकता है।

मुस्लिम महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए कई लेखिकाएँ प्रयासरत है। मुस्लिम महिला लेखिकाओं में रुक्कैया शेखावत, रशीद जहां, मुमताज शीरी, इस्मत चुगताई, नासिरा शर्मा, कुर्रतुल-एन हैदर आदि ने जब कलम उठाई तो अपनी रचनाओं के माध्यम से तलवार का काम लिया। इन मुस्लिम महिला लेखिकाओं में विद्रोह एवं बगावत के स्वर के पीछे स्त्रियों का वही शोषण रहा है, जो उस पर धार्मिक बाने की आड़ में किया जाता है। ये महिलाएँ असमानता, भाषिक हिंसा, सेक्सुअल दबाव, लैंगिक हिंसा, विवाह की स्वतंत्रता का न होना- अनेक तरह के जैसे सामाजिक, धार्मिक आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित होने आदि कारणों से विद्रोही भाव अपनाने लगी। इधर मुस्लिम नारी की सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। वह भी कथित मजहबी संस्कारों की गुंजलक को ढीला करने में जुटी है। दरअसल मुस्लिम लड़कियों को आधुनिक शिक्षा का अधिकार दिया जाना ही एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रस्थान बिन्दु है।

वर्तमान समय में स्त्रियों ने सदियों की खामोशी तोड़ी है। अपने व्यक्तिगत जीवन का उद्देश्य, दर्शन उसका मन-मिजाज सभी बदल रहा है। वह अस्मिता, आत्म-चेतना और अस्तित्व-बोध के प्रति चेतना-संपन्न और जागृत हो रही है। कुछ समृद्ध व आधुनिक परिवारों की लड़कियाँ अब फैशन,

मॉडल और विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत हैं। लेकिन मध्यवर्गीय और निम्न परिवार की लड़की अभी भी संघर्षरत है। मुस्लिम समाज में स्त्रियों पर पुरुष, समाज, परिवार, धर्म का दबाब अभी बना हुआ है। परिणाम स्वरूप मुस्लिम स्त्री खामोश रहने के लिए विवश है। आज जरूरत है इस खामोशी को तोड़कर वह अपने अधिकारों के लिए संगठित हो। तभी तीन तलाक, हलाला, पर्दा-प्रथा जैसी भयावह कुरीतियों से न सिर्फ स्वयं को मुक्त करेंगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगी।

मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए भारत सरकार भी इधर प्रयत्नशील है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद एक बार फिर यह सवाल गूंज उठा है कि क्या तीन तलाक पर मुस्लिम महिलाओं को 6 शताब्दी के धार्मिक कानूनों से छुटकारा मिल पाएग क्या वे 21वीं सदी के अनुसार समाज में अपनी बराबरी की दावेदारी पेश करेगी? 24 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि तीन तलाक को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। भले ही लोग आज तलाक मुद्दे को राजनैतिक चश्में से देखने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन असल में यह मामला सीधा सामाजिक भावनाओं से जुड़ा है क्योंकि हमारे समाज में विवाह या निकाह कोई राजनैतिक रस्म नहीं है तो फिर तलाक के मुद्दे को भला राजनीतिक रंग में क्यों रंगा जाए? हाँ, इसे मजहबी अधिकार क्षेत्र में जरूर माना जा सकता है, पर सवाल यह है कि- मजहब से यह अधिकार दिलाए कौन? अगर पुरुष और महिलाओं के अधिकार समान हैं तो सामाजिक जीवन में इतना अमानवीय भेदभाव क्यों नजर आ रहा है? हालांकि अब इस्लामिक समाज के अंदर से ही तलाक जैसी प्रथा के खिलाफ आवाज आनी शुरू हो गई है। एक पढ़ा-लिखा वर्ग 'तीन तलाक' को अमानवीय रूप में देख रहा है जो कि कुरान की भावनाओं के भी विपरीत है। क्षणिक भावावेश से बचने के लिए 'तीन तलाक' के बीच समय का अंतराल भी होना चाहिए। जब निकाह दोनों ओर की गवाही से सम्पन्न होता है, तो तब तलाक के लिए एकपक्षीय एकांत क्यों?

मीडिया में लगातार हो रही बहसों के बाद भी दलील रखने वाले चेहरों में कोई बदलाव नहीं है। इसलिए अभी 'तीन तलाक' का अंत नहीं, बल्कि मामले की शुरुआत भर है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि महिला अधिकार हनन को केवल मुस्लिम संप्रदाय से जोड़ कर न देखा जाए बल्कि इसके साथ ही कन्या भ्रूण हत्या की भी कड़ी निंदा की जाए। इस तरह देश में संपूर्ण महिला अधिकारों के मुद्दे को एक नया आयाम दिया जा सकता है। जिस तरह पाकिस्तान के आदिवासी इलाकों में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, ऐसा लगता है भारत में भी इस्लाम के नाम पर रूढ़िवादी और पतनशील विचारधारा का प्रभाव तेजी से कार्य करने लगा हैं महिला सशक्तिकरण के खिलाफ कुतर्कों का जाल न फैलाकर, अगर स्त्रियों के प्रति थोड़ी संवेदनशीलता दिखाएं और महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण पद्धति को मिटाने में देशभर के नागरिक एक जुट हो जाएं तो मुस्लिम स्त्रियों में सुरक्षित जीवन का भरोसा और आत्मविश्वास ही नहीं पैदा होगा, बल्कि देश-दुनिया के लिए एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा। ❐

संपर्क: द्वारा मुहम्मद यूनूस परवेज
नेल्सन रोड, मारवाड़ी कल
पो-हाजीनगर, उत्तरी 24 परगना
पश्चिम बंगाल-743135

कविता

नाव उसी की लगी पार है!!

➢ सुनील बाजपेयी 'सरल'

ऊंची लहरें तीव्र धार है
दूर किनारा अधिक भार है
मँझधार सदा जो धैर्य रखे
नाव उसी की लगी पार है।।

आंधी की तेज रफ्तार है
नाव डोलती लगातार है
साहस है जिसके सीने में
नाव उसी की लगी पार है।।

भंवर घुमाती हुई धार है
बस एक छोटी पतवार है
सूझबूझ हो ज्यादा जिसमें
नाव उसी की लगी पार है।।

नाविक यह घोर बीमार है
कमजोर तन मन लाचार है
दृढ़ निश्चय है जिसके अंदर
नाव उसी की लगी पार है।।